(128) ①

कार्यालय कलेक्टर, जिला धार
RM.
29 SEP 2017

श्रीमान अध्यक्ष महोदय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालीयर म0प्र0

स्व0 शेर मोह0 पिता कालु पटेल वारीसानः- विकार एहमद पिता स्व0 शेर मोह0 आदि जाति नायता पटेल निवासी ग्राम बालोदा बुजुर्ग तह0 व जिला धार ....प्रार्थीगण

Presented by Shri Abdul Shakur Khan Advocate Dhar 29/09/2017

13 / 29.9.17

विरुध्द PBR/निगरानी/धार/भू०रा/2017/3971

लालजी पिता कालु नायता पटेल निवासी ग्राम ग्राम बालोदाबुजुर्ग तह0 व जिला धार ....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 अनुसार।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार सादर निवेदन है कि :–

1– ऐसा कि निगरानीकर्ता प्रार्थी के द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय धार जिला धार द्वारा प्रकरण क्रमांक 11 अ70/2016.17 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2017 से दुःखी एवं असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

2– ऐसा कि प्रार्थी के ...

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा/17/3971

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-9-18	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय धार के प्रकरण क्रमांक 11/अ-70/16-17 में आदेश दिनांक 8-8-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का धारा 32 का आवेदन इसलिये निरस्त किया है कि साक्ष्य का अवसर समाप्त होने के बाद आवेदक को उसके विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना चाहिये थी । अत: तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देने के बाद साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है इसलिये यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	